

46



खण्ड कार्यालय
अधिशासी अभियंता
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

(6)

प्राप्ति
e-mail: kannaujwater@gmail.com
e-mail: jkhanakar@rediffmail.com

पत्रांक:-

दिनांक:-

हस्तान्तरण प्रपत्र

योजना का नाम—रुरा ग्रामीण पेयजल योजना (रेट्रोफिटिंग)

योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

1—वितरण प्रणाली (63 MM To 110 MM HDPE Pipe)	: 280 मीटर
2—गृह जल संयोजन	: 355 नग (सूची संलग्न)
3—स्लूस वाल्व	: 01 नग

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत समस्त इच्छुक ग्राम वासियों को पेयजल गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, एवं कार्य संतोषजनक है।

हस्तान्तरण कर्ता

जूनियर इंजीनियर
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम
(ग्रामीण)
कन्नौज

11-08-21

सहायक अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम
(ग्रामीण)
कन्नौज

हस्तगत कर्ता

प्रधन
ग्राम पंचायत प्रधान
उ0प्र0 जल निगम
ग्राम पंचायत-रुरा
विकास खण्ड-उमर्दा
जनपद-कन्नौज

प्रधन
ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत-रुरा
विकास खण्ड-उमर्दा
जनपद-कन्नौज



गांव को 'हर घर जल' घोषित करने की प्रक्रिया

(संदर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का पृष्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण होने, के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें उस गाँव के फ़िल्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एक ठाराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी :

जल जीवन मिशन

हर घर जल - प्रमाण पत्र

मैं अमृता देवी, सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, २०२५ ग्राम पंचायत, मुमुक्षुज जिला, राज्य का ३२५ और मैं अमृता देवी, पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूं कि गांव के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठाराव सं
०१, तारीख ०१-८-२२ के आधार पर आज
११/०८/२०२२ जारी किया गया है।

अमृता देवी
 हस्ताक्षर
 (सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी. पानी समिति
 के अध्यक्ष/ अध्यक्ष का नाम)
 आधिकारिक मुहर

 हस्ताक्षर
 (पंचायत सचिव का नाम)
 आधिकारिक मुहर

जे.जे.एम. ऐप में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी/ फ़िल्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठाराव निम्नानुसार है:



'हर घर जल' घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत का ठराव/ संकल्प
संकल्प/ ठराव संख्या: ०।

दिनांक: ०१/०४/२२

संदर्भ: आर. डब्ल्यू. एस./पी. एच. ई. विभाग का प्रमाण पत्र (संलग्नक)

विषय: 'हर घर जल' गाँव की घोषणा - गाँव के सभी घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, न्यूनतम ५५ लीटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन के बारे में।

जिला: १०८०००

ब्लॉक: ३४८

ग्राम पंचायत : २०२५

गाँव: २०२५

1. घरों की कुल संख्या: (८००)

2. नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या : ६६०

3. संस्थानों में नल कनेक्शन का विवरण :

i.) ग्राम पंचायत भवन : है

ii.) स्वास्थ्य केंद्र: है

iii.) स्कूल: है

iv.) आगनवाड़ी: है

v.) आश्रमशाला : है

vi.) मवेशी प्याऊ : है

vii.) सामुदायिक स्नान घाट : है

viii.) सामुदायिक शौचालय : है

4. सामुदायिक योगदान और बैंक खाते का विवरण:

i.) नकद

ii.) साधन सामग्री :

iii.) श्रमदान :

iv.) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):

v.) बैंक खाते का विवरण:

5. पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एफ.टी.के. (फील्ड स्टेस्टिंग किट) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है (नाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.) अरुष्णि लग्ज, ०१६५५४३०, ८५५५८५०३५०
- ii.) रमेश कुमार, ०१६५५४३०, ८५५५८५०३५०
- iii.) रमेश कुमार, ०१६५५४३०, ८५५५८५०३५०
- iv.) रमेश कुमार, ०१६५५४३०, ८५५५८५०३५०
- v.) रमेश कुमार, ०१६५५४३०, ८५५५८५०३५०

6. योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.) मी. अरुष्णि, ०१६५५४३०, ९७९५५५८३५०
- ii.) मी. मुकुम, ०१६५५४३०, ६३०६५१४३४४

7. तकनीकी सहायता के लिए आर. डब्ल्यू. एस./ पी.एच. ई. विभाग के कार्मिक निम्नानुसार हैं (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.) श्री. रमेश कुमार, ०१६५५४३०, ८१७५४३७७१२, ७३०५५७६२
- ii.) श्री. सरोश कुमार, ०१६५५४३०, ८१७५४३७७१२, ७३०५५७६२

8. गाँव के इलेक्ट्रिशियन, पाइप मिस्ट्री, राजगीर, आदि कुशल कारीगर, जो सिस्टम को बहाल करने में मदद करेंगे, निम्नानुसार हैं (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर);

- i.) अरुष्णि, ०१६५५४३०, ६३०६५९९३२८
- ii.) रमेश, ०१६५५४३०, ७५१८८१५३७८

ग्राम पंचायत/वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, संकल्प/ ठाराव करती है कि गाँव में जलापूर्ति के लिए प्रदान किए गए नल कनेक्शन और प्रबंधन के लिए मानव संसाधन ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार है। ग्राम पंचायत निम्नानुसार संकल्प लेती है कि:



- i.) तिमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा;
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा;
- iii.) सेन्सर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंसर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा;
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर 50/- रुपए का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।

पंचायत सचिव

(नाम मुहर सहित)

ग्राम पंचायत/ गांव २०५८

खंड ३४८

जिला उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के माम

सरपंच/ उपसचिव/ अध्यक्षा

वी. डब्ल्यू. एस. सी. सी. समिति

मध्यान

(नाम मुहर सहित)

ग्राम पंचायत/ गांव नूर

खंड २५६

जिला उत्तर प्रदेश



'हर घर जल'- गांव

प्रमाणपत्र

(पी.एच.ई./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा)

अनुलेखनक

जिला: ...Karnavij.....

ग्राम पंचायत:Rajdeo.....

ब्लॉक:Umardeo.....

गांव:Rajdeo.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह गांव 'हर घर जल' है अर्थात् निम्नलिखित कार्यों की पूर्णता के अवलोकन के पश्चात्, दिनांक तक गांव के सभी घरों में नल जल कनेक्शन दे दिए गए हैं :

1. सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;
2. सभी नल कनेक्शन पाइप को क्लैंप के साथ दीवारों पर लगाया गया है और खुली जगह के मामले में, पाइप उचित सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) प्लेटफॉर्म में स्थित कर दिए गए हैं;
3. सभी घरों में नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है;
4. सभी घरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुरक्षित है (आईएस 10500 के अनुसार);
5. गांव में वितरण पाइप लाइन से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है;
6. सभी ग्राम पदाधिकारियों के नाम जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्य, ओ एंड एम स्टाफ, एफ.टी.के. का उपयोग करने के लिए परीक्षण के लिए प्रशिक्षित 5-व्यक्ति और संबंधित पी.एच.ई.डी. अधिकारी की पहचान की गयी है और आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
7. जिस परिवार को नल कनेक्शन दिया गया है, उसका विवरण आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
8. जलापूर्ति कार्य पूरा होने के बाद सभी सड़कों को सुधार दिया गया है;
9. सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ एक ट्रान्सेक्ट बॉक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन और संदूषण मुक्त शुद्ध पानी पीने के लाभों के बारे में शिक्षित कर दिया गया है;
10. सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आश्रमशाला को जल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;



11. परों और संस्थानों से निकलने वाले वे वाटर का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जा रहा है/ किया जाएगा; तथा
12. वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण संरचना लागू कर दी गई है/की जाएगी।

नामित पर्यवेक्षी अधिकारी
(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.एस.
